न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या 13/2017 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. श्री नारायण सिंह राणावत पुत्र श्री नाथुसिह राणावत विक्रेता/मैनेजर
   मैसर्स सुरूचि रेस्टोरेन्ट, होटल ज्योति, सूचना केन्द्र चौराहा, भीलवाडा (राजस्थान)
   हाल पता : – होटल ज्योंति सूचना केन्द्र के पास भीलवाडा।
   स्थाई पता :– ग्राम पोस्ट सांकरिया तह. केकडी जिला अजमेर।
2. श्री दिनेश पेडिवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश पेडिवाल निदेशक/लाईसेंसकर्ता मैसर्स ज्योति होटल्स ए यूनिट ऑफ ज्योति मोटल्स (प्रा0लि0) सूचना केन्द्र चोराहा भीलवाडा।
   स्थाई पता :– के.–4, बापूनगर भीलवाडा।
3. फर्म :– मैसर्स ज्योति होटल्स ए यूनिट ऑफ ज्योति मोटल्स (प्रा0लि0) सूचना केन्द्र चोराहा भीलवाडा।

– प्रार्थी

––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–
1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा
2 श्री एस. एन. चण्डक अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

दिनांक 21.06.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री नारायण सिंह राणावत पुत्र श्री नाथुसिह राणावत विक्रेता/मैनेजर मैसर्स सुरूचि रेस्टोरेन्ट, होटल ज्योति, सूचना केन्द्र चौराहा, भीलवाडा (राज.) पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् रोटी, सब्जी, दही इत्यादि का निर्माण कर विकय कर रहा था। मैसर्स सुरूचि रेस्टोरेन्ट, होटल ज्योति, सूचना केन्द्र चौराहा, भीलवाडा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि एक

स्टील की थाल में 8 से 10 किलो दही रखा हुआ था। मौके पर विक्रेता से पूछने पर बताया गया कि उक्त दही की निर्माण फुल क्रीम दूध से किया गया है। स्टील की थाल में रखे हुए दही (फुल क्रीम दूध से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानो के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबार कर्ता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार दही (फुल क्रीम दूध से निर्मित) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान सबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.05.2016 को समय 12.50 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स सुरूचि रेस्टोरेन्ट, होटल ज्योति, सूचना केन्द्र चौराहा, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय रेस्टोरेन्ट पर खाद्य विक्रेता/मैनेजर की हैसियत से श्री नारायण सिंह राणावत पुत्र श्री नाथुसिंह राणावत विक्रेता/मैनेजर उम्र 38 वर्ष ,जाति राणावत निवासी – ग्राम पोस्ट सांकरिया तह. केकडी जिला अजमेर (राज0) उपस्थित था एवं आम जनता को रोटी, सब्जी, छाछ, दही इत्यादि आम जनता को विक्रय कर रहा था। विक्रेता/ मैनेजर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस मांगा गया । विक्रेता/मैनेजर द्वारा मौके पर बताया गया कि उनकी फर्म द्वारा खाद्य लाईसेंस का आवेदन कर दिया गया है। शीघ्र ही कार्यालय से प्राप्त कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

मौके पर एक स्टील की थाल में 8 से 10 किलो दही रखा हुआ था। मौके पर विक्रेता से पुछने पर बताया गया कि उक्त दही की निर्माण फुल क्रीम दूध से किया गया है। स्टील की थाल में रखे हुए दही (फुल क्रीम दूध से निर्मित) मे मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबार कर्ता को फॉर्म 5 ए में देते हुए खाद्य नमूना नियमानुसार जाँच हेतु लिया गया।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में स्टील के थाल में रखे हुए दही (फुल क्रीम दूध से निर्मित) को एक साफ सुखे चाकू से वर्टीकल कट लगाकर चार भागों में बांटा व एक भाग को अन्य साफ सुखे खाली स्टील के भगोने में लेकर एक साफ सुखी स्टील की चम्मच से अच्छी तरह हिला मिलाकर कर एक रूप कर (Homogenous) किया। एक रूप दही में से 800 ग्राम दही एक अन्य साफ सुखे खाली स्टील के भगोने में खरीदा इस बाबत 45/– रू. अक्षरे पैतालीस रू. नकद देकर रसीद प्राप्त की।

इस खरीदसुदा दही (फुल किम दूध से निर्मित) को विक्रेता व गवाह के सामने चार बराबर भागों में विभाजित कर चार साफ, सुखे, खाली, चौडे मुंह के प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर बराबर मात्रा मे डालकर, प्रत्येक डिब्बे में 16–16 बूंदे फार्मलीन बतौर प्रिजरेटिव

डालकर ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर विक्रेता, गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर दोनों सिरों को मोडकर गोंद से चिपकाऐं प्रत्येक नमूना भाग पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप कोड व कम संख्या एक्स–101 को नियमानुसार उपर से लेकर नीचे व नीचे से लेकर उपर तक अच्छी तरह गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मैनेजर ने नियमानुसार पेपर स्लीप को कोस करते हुए हस्ताक्षर किये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विकेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों कों सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मोके पर मौका फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विकेता को लिए गये नमूने के फोर्थ पार्ट की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./264/एफएसएसए/2016/314 दिनांक 20.05.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, दही (फुल कीम दूध से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 1 श्री नारायण सिंह राणावत पुत्र श्री नाथुसिह राणावत विकेता/मैनेजर मैसर्स सुरूचि रेस्टोरेन्ट, होटल ज्योति, सूचना केन्द्र चौराहा, भीलवाडा (राज.) व विपक्षी सं. 02 द्वारा सबस्टैण्डर्ड दही (फुल कीम दूध से निर्मित) का विकय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 20.02.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 17.03.2017 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना दही (फुल कीम दूध से निर्मित) सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि फुल कीम दूध से निर्मित दही में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत निर्धारित मिल्क सॉलिड नोट फेट की मात्रा कम से कम 9.0 प्रतिशत होनी चाहिए जबकि लिये गये खाद्य नमूने में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में 8.70 प्रतिशत ही मिल्क सॉलिड नोट फेट पाई गई इसलिए लिया गया नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। एवं विपक्षीगणों द्वारा सब स्टेण्डर्ड दही (फुल कीम दूध से निर्मित)का निर्माण एवं विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षीयों के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया गया कि विपक्षी द्वारा दही का निर्माण फुल कीम दूध सरस डेयरी भीलवाडा द्वारा विकित दूध द्वारा करना बताया गया। साथ ही लिये गये खाद्य नमूने में निर्धारित मिल्क फेट की मात्रा नियमानुसार पाया जाना बताया गया। लिये गये खाद्य नमूने में मिल्क सॉलिड नोट फेट में भी मार्जिन्ल अंतर होना बताया गया। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि लिये गये खाद्य नमूने में मार्जिन्ल अंतर है इसलिए प्रार्थी को प्रकरण में मानवीय दृष्टि कोण अपनाते हुए बरी करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./264/ एफएसएसए/2016/314 दिनांक 20.05.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, दही (फुल कीम दूध से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि फुल कीम दूध से निर्मित दही में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत निर्धारित मिल्क सॉलिड नोट फेट की मात्रा कम से कम 9.0 प्रतिशत होनी चाहिए जबकि लिये गये खाद्य नमूने में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में 8.70 प्रतिशत ही मिल्क सॉलिड नोट फेट पाई गई इसलिए लिया गया नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। विपक्षीगणों द्वारा सब स्टेण्डर्ड दही (फुल कीम दूध से निर्मित)का निर्माण एवं विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 मे निर्धारित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं. 01 श्री नारायण सिंह राणावत पुत्र श्री नाथुसिह राणावत विकेता/मैनेजर मैसर्स सुरूचि रेस्टोरेन्ट, होटल ज्योति, सूचना केन्द्र चौराहा, भीलवाडा (राज.) एवं विपक्षी सं. 02 ने दही (फुल कीम दूध से निर्मित) सब स्टैण्डर्ड का विकय एवं निर्माण करने के लिये दोषी है । इस प्रकार विपक्षीगणों द्वारा सबस्टैण्डर्ड दही (फुल कीम दूध से निर्मित) का विकय एवं निर्माण किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम

की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगण द्वारा उल्लधंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 01 पर 50,000/–रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) व विपक्षी सं. 02 पर 50,000/–रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/06/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री नारायण सिंह राणावत पुत्र श्री नाथुसिह राणावत विकेता/मैनेजर
मैसर्स सुरूचि रेस्टोरेन्ट, होटल ज्योति, सूचना केन्द्र चौराहा, भीलवाडा (राजस्थान)
हाल पता : – होटल ज्योंति सूचना केन्द्र के पास भीलवाडा।
स्थाई पता :– ग्राम पोस्ट सांकरिया तह. केकडी जिला अजमेर।
5. श्री दिनेश पेडिवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश पेडिवाल निदेशक/लाईसेंसकर्ता मैसर्स ज्योति होटल्स ए यूनिट ऑफ ज्योति मोटल्स (प्रा0लि0) सूचना केन्द्र चोराहा भीलवाडा।
स्थाई पता :– के.–4, बापूनगर भीलवाडा।
फर्म :– मैसर्स ज्योति होटल्स ए यूनिट ऑफ ज्योति मोटल्स (प्रा0लि0) सूचना केन्द्र चोराहा भीलवाडा।

21/06/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा